

न्यायालय श्रीमान जनपद एवं सत्र न्यायाधीश महोदय झॉसी  
अन्तरण प्रा०प्रा०स०- सन 2021  
चन्द्रशेखर शुक्ला एडवोकेट सी०जे०एम० कोर्ट कम्पाउण्ड झॉसी  
बनाम

सरकार उ०प्रा०

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा - 408 द०प्रा०स०

धारा- अज्ञात  
थाना- अज्ञात  
जिला झॉसी  
मु०न०- अज्ञात

महोदय,


विनम्र प्रार्थना है कि अपर सत्र न्यायाधीश एफ०टी०सी० कक्ष स०- 14 झॉसी द्वारा एक सम्मन बतौर अभियुक्त मुझे भेजा गया है जिसमें न तो मुकदमा नम्बर है न ही धारा व न ही थाना अंकित है। जिसके सम्बन्ध में अन्तरण प्रार्थना पत्र निम्न आधारों पर प्रस्तुत है :-

- 1- यहकि पीठासीन अधिकारी श्री विमल प्रकाश आर्य के विरुद्ध मेरे द्वारा कई शिकायते की गयी है।
- 2- यहकि कुछ मुकद्दमों में मेरे पक्षकारों द्वारा भी माननीय उच्च न्यायालय और महोदय को शिकायते की गयी है।
- 3- यहकि अन्तरण प्रार्थनापत्रों में पक्षकारों की ओर से मैं स्वयं अधिवक्ता हूँ।
- 4- यहकि पीठासीन अधिकारी श्री विमल प्रकाश आर्य मुझसे व्यक्तिगत द्वेष मानते हैं।
- 5- यहकि श्री विमल प्रकाश आर्य द्वारा यह कहा गया है कि प्रकरण में मैंने जानबूझकर दिनांक 24.12.2021 की तिथि नियत की है उस तिथि को मैं इस प्रकरण में वारण्ट जारी करूँगा। क्योंकि दिनांक 24.12.2021 के पश्चात शीत कालीन अवकाश हो रहा है।
- 6- यहकि व्यक्तिगत द्वेष के कारण उपरोक्त सम्मन जारी किया गया है ऐसा पहला सम्मन है जिसमें धारा, थाना व प्रकरण का अन्य विवरण अंकित नहीं है।
- 7- यहकि उपरोक्त प्रकरण न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एफ०टी०सी० कक्ष स०- 14 से अन्तरित नहीं किया जाता है तो वह मुझे अपूर्णनीय क्षति पहुँचायेगा।


प्रार्थना

अतः महोदय, जी से न्यायहित में प्रार्थना है कि उपरोक्त प्रकरण जिसमें सम्मन की छायाप्रति साथ में संलग्न है को किसी अन्य न्यायालय में अन्तरित करने की कृपा करें।

दिनांक-16.12.2021

भवदीय  
  
(चन्द्रशेखर शुक्ला)  
एडवोकेट

सी० जे०एम० कोर्ट कम्पाउण्ड झॉसी



# अभियुक्त व्यक्ति का सम्मन

न्यायालय नं. 107 F-7C 14th F. C. Court  
नाम - अशोक कुमार शर्मा (सर्वोद्वेग)  
पता - ...  
धुकि आपकी उपस्थिति वास्ते अभियुक्त

दने हेतु

अनिवार्य है अतः आप स्वयं न्यायालय कार्यालय के सम्मुख

दिनांक 24/2/21 को सुबह 10

बजे उपस्थित होना आवश्यक है तदनुसार धुकि न हो।

आपका ... को दिनांकित

# अभियुक्त व्यक्ति का सम्मन

न्यायालय नं. 107 F-7C 14th F. C. Court  
नाम - अशोक कुमार शर्मा (सर्वोद्वेग)  
पता - ...  
धुकि आपकी उपस्थिति वास्ते अभियुक्त

अनिवार्य है अतः आप स्वयं न्यायालय कार्यालय के

दिनांक 24/2/21 को सुबह 10

बजे उपस्थित होना आवश्यक है तदनुसार धुकि न हो।

आपका ... को दिनांकित




प्रेषक (विमल प्रकाश आर्य)  
अपर सत्र न्यायाधीश (F. T. C.), झांसी।  
(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित)।  
सेवा में श्रीमान जनपद न्यायाधीश  
झांसी।

विषय : चन्द्र शेखर शुक्ला एडवोकेट द्वारा प्रस्तुत अन्तरण प्रार्थनापत्र संख्या निल सन 2021 पर पारित आदेश दिनांक 18. 12. 2021 के सम्बन्ध में।

महोदया सादर अवगत कराना है कि उक्त अन्तरण प्रार्थनापत्र के साथ कोई शपथपत्र संलग्न नहीं है। यह भी अवगत कराना है कि उक्त अधिवक्ता एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जिसके विरुद्ध श्री वीरेन्द्र विक्रम सिंह तत्कालीन माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा न्यायालय में तोड़ फोड़ कर सरकारी सम्पत्ति को क्षतिग्रस्त करने की सूचना माननीय उच्च न्यायालय को वर्ष 2010 में दी गयी थी और उक्त मामले में विद्वान अधिवक्ता श्री चन्द्रशेखर शुक्ला जेल में निरुद्ध भी रहा था और उसके विरुद्ध लगभग 58 से अधिक मामले विभिन्न थानों में दर्ज हुए हैं। टीकमगढ़ मध्य प्रदेश में न्यायालय द्वारा उक्त विद्वान अधिवक्ता दोषसिद्ध भी हो चुका है।

अतः निवेदन है कि अन्तरण प्रार्थनापत्र के साथ शपथपत्र की छायाप्रति प्रदान कराने की कृपा करें जिससे अन्तरण प्रार्थनापत्र के बावत आख्या प्रस्तुत कर सकूँ।

भवदीय

  
20.12.2021  
(विमल प्रकाश आर्य)

दिनांक: 20.12.2021

अपर सत्र न्यायाधीश (F. T. C.), झांसी।

(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ;




copy forwarded 21/12/21  
ok copy of all the papers to seat to H.P.O. once immediately. He shall furnish it return by tomorrow by 11:00 (11:00 AM) sharp. It is made clear that no further time shall be given.  
20/12/21  
S J

Index 5 work of  
Applic along with all documents & filled

Copy of order forwarded to... ADJ F.T.C. F.C.  
for information & Necessary Action

12/21

By Order  
  
Sadar Mansarim/ Sessions Clerk  
Sessions Judge  
Jhansi (U.P.)

Recd  
17-12-21  
11:5 AM

### अभियुक्त व्यक्ति का सम्मन

न्यायालय न्यायालय न्यायालय न्यायालय  
नाम - [Handwritten Name]  
पता - [Handwritten Address]  
शुक्ति आपकी उपस्थिति वास्तो अभियुक्त

दिने हेतु

अनिवार्य है अतः आप स्वयं न्यायालय उपरोक्त के

दिनांक 24/12/21 को सुबह 10

बजे उपस्थित हो ऐसा करने में त्रुटि न हो।

आज दिनांक 30/11/21 को दिनांकित



[Handwritten Signature]



[Handwritten Signature]

Handwritten notes and signatures in the bottom left corner.

12/22

विश्राम कक्ष:

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (F. T. C.), झाँसी।  
( चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित)।

दिनांक: 20. 12. 2021

नोटिस

बनाम

1. खुशनुमा कनिष्ठ सहायक

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (F. T. C.), झाँसी।

विषय : फौजदारी प्रकीर्ण वाद सं० 429/ 2021 राज्य बनाम चन्द्रशेखर शुक्ला एडवोकेट CJM कोर्ट  
परिसर झाँसी में अभियुक्त चन्द्रशेखर शुक्ला एडवोकेट के विरुद्ध जारी सम्मन के सम्बन्ध में।।

आपको अवगत कराया जाता है कि उक्त वाद के अभियुक्त चन्द्रशेखर शुक्ला एडवोकेट ने श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदया को एक शिकायती प्रार्थनापत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि उक्त मामले में उसके विरुद्ध जो सम्मन जारी हुआ है उसमें न तो मुकदमा नं० है, न ही धारा और न ही थाना अंकित है।

अभियुक्त चन्द्रशेखर शुक्ला एडवोकेट ने जारी सम्मन की छायाप्रति प्रस्तुत की है, जिसमें सफेदा लगा हुआ है जिसे मैंने लाल घेरे से अंकित किया है जिस पर प्रशासनिक अधिकारी जानकी प्रसाद की यह आख्या अंकित है कि "सफेदा लगी छायाप्रति है"।

आपको यह भी अवगत कराया जाता है कि अभियुक्त चन्द्रशेखर शुक्ला एडवोकेट एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है जिस पर न्यायालय में तोड़-फोड़ करने का गंभीर अपराध पंजीकृत है। अभियुक्त के उक्त कृत्य के बावत तत्कालीन जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय को नियमानुसार सूचना दी गयी थी। अभियुक्त का उक्त मुकदमा इसी जनपद न्यायालय में विचाराधीन है। अभियुक्त चन्द्रशेखर शुक्ला एडवोकेट झाँसी का टाप 10 अपराधियों में सुमार है। मेरे द्वारा उक्त अभियुक्त चन्द्रशेखर शुक्ला एडवोकेट का सम्पूर्ण आपराधिक इतिहास श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदया को प्रेषित किया जा चुका है।

अभियुक्त चन्द्रशेखर शुक्ला एडवोकेट एक अन्य अभियुक्त के विरुद्ध पर नन्दनी खटीक महिला द्वारा बलात्कार करने के बावत दिनांक 25. 06. 2016 को समय 14:45 बजे F. I. R. नं० 0048 के तहत महिला थाना नवाबाद जिला झाँसी में अन्तर्गत धारा 376-D, 506 I. P. C. का मुकदमा दर्ज कराया गया था।


अतः आप आज दिनांक 20. 12. 2021 को अपराह्न 16:00 बजे तक अपनी आख्या प्रस्तुत करें कि आपके द्वारा उक्त सम्मन किसे प्रदान किया गया और जो सफेदा लगा हुआ है वह किसके द्वारा और कब लगाया गया और यह भी बतायें कि उक्त सम्मन की छायाप्रति अभियुक्त चन्द्रशेखर शुक्ला एडवोकेट को कब और कैसे और कहाँ प्राप्त हुई। यह भी बतायें कि क्या अभियुक्त चन्द्रशेखर शुक्ला एडवोकेट ने आपके कार्यालय आकर

23  
15  
20-12-21

उक्त सम्मन की फोटो खींची या नहीं। यदि अभियुक्त चन्द्रशेखर शुक्ला एडवोकेट द्वारा उक्त सम्मन की कार्यालय आकर स्वयं फोटो खींची गयी है या अन्य किसी के द्वारा फोटो खिंचवायी गयी है तो यह भी स्पष्ट रूप से बतायें। साथ ही आपको यह भी चेतावनी दी जाती है कि यदि आपके द्वारा किसी तथ्य को छिपाया गया या छिपाने का प्रयास किया गया तो उसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगी।

दिनांक: 20. 12. 2021


भवदीय

  
( विमल प्रकाश आर्य )

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ( F. T. C. ), झांसी।  
( चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित )।

संलग्नक:-

तथाकथित सम्मन की छायाप्रति ( 01 ) A।

28/12/21  
  
20.12.21

प्रेषक ( विमल प्रकाश आर्य )  
अपर सत्र न्यायाधीश ( F. T. C. ), झाँसी ।  
( चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित ) ।  
सेवा में श्रीमान जनपद न्यायाधीश  
झाँसी ।

विषय : जनपद झाँसी का टाप- 10 अपराधी व अभियुक्त चन्द्र शेखर शुक्ला एडवोकेट द्वारा प्रस्तुत  
अन्तरण प्रार्थनापत्र संख्या निल सन 2021 पर पारित आदेश दिनांक 18. 12. 2021 के  
सम्बन्ध में ।


महोदया

सादर अवगत कराना है कि जनपद झाँसी का टाप- 10 कुख्यात अपराधी अभियुक्त चन्द्र शेखर शुक्ला एडवोकेट ने अपने अन्तरण प्रार्थनापत्र दिनांकित 16. 12. 2021 में मुख्य रूप से यह कथन किया है कि पीठासीन अधिकारी उसके प्रति व्यक्तिगत विद्वेष मानते हैं, लेकिन अभियुक्त चन्द्र शेखर शुक्ला एडवोकेट ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि पीठासीन अधिकारी किस आधार पर उसके प्रति व्यक्तिगत विद्वेष मानते हैं जबकि वास्तविकता यह है कि उक्त अभियुक्त चन्द्र शेखर शुक्ला एडवोकेट द्वारा साक्षी को न्यायालय में पेश नहीं किया गया और उसका वारण्ट रिकाल प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया और उसका निजीबन्ध पत्र अभियुक्त चन्द्र शेखर शुक्ला एडवोकेट ने निष्पादित किया जबकि वारण्ट रिकाल प्रार्थनापत्र पर बल देने के लिए साक्षी मौजूद ही नहीं था और बिना न्यायालय के आदेश के कुख्यात अभियुक्त चन्द्र शेखर शुक्ला एडवोकेट ने गुन्डयी के बल पर साक्षी का निजीबन्धपत्र भी निष्पादित कर दिया । उक्त कुख्यात अभियुक्त चन्द्र शेखर शुक्ला एडवोकेट को न्यायालय द्वारा पुनः नोटिस जारी किया गया तो उक्त कुख्यात अभियुक्त चन्द्र शेखर शुक्ला एडवोकेट ने अपने जवाब में यह कथन किया कि उसने साक्षी का केवल हस्ताक्षर व फोटो ही प्रमाणित किया जबकि न तो साक्षी का फोटो और न ही हस्ताक्षर प्रमाणित है । कुख्यात अभियुक्त चन्द्र शेखर शुक्ला एडवोकेट के उक्त स्पष्टीकरण के आधार पर साक्षी का गैर जमानतीय वारण्ट प्रार्थनापत्र व निजीबन्ध पत्र को मेरे द्वारा शीलकवर लिफाफे में रखवाने का आदेश पारित किया गया ।

2. चूँकि कुख्यात अभियुक्त चन्द्र शेखर शुक्ला एडवोकेट एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है जो न्यायालय के अभिलेख को किसी भी समय गायब करा सकता है, इसी कारण उक्त अभिलेख को शीलबन्द लिफाफे में रखे जाने का आदेश पारित किया गया । चूँकि कुख्यात अभियुक्त चन्द्र शेखर शुक्ला एडवोकेट ने साक्षी का साक्ष्य अंकित नहीं होने दिया और न्यायालय के आदेश के बिना ही निजीबन्धपत्र निष्पादित किया और न्यायालय अवधि से पूर्व ही साक्षी को अपने साथ ले गया, अभियुक्त व साक्षी दोनों द्वारा ही अपराध कारित किया गया , इस कारण उक्त कुख्यात अभियुक्त चन्द्र शेखर शुक्ला एडवोकेट व साक्षी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की गयी ।

3. कुख्यात अभियुक्त चन्द्र शेखर शुक्ला एडवोकेट का अंतरण प्रार्थनापत्र में यह कथन कि पीठासीन अधिकारी ने यह कहा कि " जानबूझकर दिनांक 21. 12. 2021 की तिथि नियत की है कि इस तिथि पर वारण्ट जारी

12/23



किया जायेगा”। कुख्यात अभियुक्त चन्द्र शेखर शुक्ला एडवोकेट का यह कथन सरासर गलत व निराधार है।

4. कुख्यात अभियुक्त चन्द्र शेखर शुक्ला एडवोकेट ने अपने अन्तरण प्रार्थनापत्र के समर्थन में शपथपत्र भी प्रस्तुत किया है जिसके पैरा 06 में यह कथन किया है कि " शपथकर्ता यह कथन करता है कि व्यक्तिगत द्वेष के कारण उपरोक्त सम्मन जारी किया गया है ऐसा पहला सम्मन है जिसमें धारा, थाना व प्रकरण का अन्य विवरण अंकित नहीं है”

इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि कुख्यात अभियुक्त चन्द्र शेखर शुक्ला एडवोकेट ने श्रीमान जी के समक्ष झूठा शपथपत्र दिया है। अतः उसके विरुद्ध निम्नलिखित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए कार्यवाही की जाए:-

(a). कुख्यात अभियुक्त चन्द्र शेखर शुक्ला एडवोकेट ने सम्मन किस तिथि पर प्राप्त किया, यह कहीं स्पष्ट नहीं किया है।

(b). कुख्यात अभियुक्त चन्द्र शेखर शुक्ला एडवोकेट ने जो दो जुड़े हुये सम्मन की छायाप्रति शिकायती प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र संलग्न की है, उसमें, उसने यह नहीं बताया है कि उसने उन दोनों जुड़े हुये सम्मनों में से कौन सा सम्मन प्राप्त किया है।

(c). कुख्यात अभियुक्त चन्द्र शेखर शुक्ला एडवोकेट ने यह भी नहीं बताया है कि जिस सम्मन पर सफेदा लगा हुआ है वह सफेदा उसने किस सम्मन पर लगाया है।

(d). कुख्यात अभियुक्त चन्द्र शेखर शुक्ला एडवोकेट ने यह भी नहीं बताया है कि उसने दोनों जुड़े सम्मनों की छायाप्रतियाँ कब, कहाँ और कैसे प्राप्त की और न ही यह बताया है कि उसने दोनों जुड़े सम्मनों की छायाप्रति कैसे करा लीं।

(e). कुख्यात अभियुक्त चन्द्र शेखर शुक्ला एडवोकेट वह मूल सम्मन अविलम्ब प्रस्तुत करे जो उसने प्राप्त किया है।

(f). कुख्यात अभियुक्त चन्द्र शेखर शुक्ला एडवोकेट यह बताये कि जिस सम्मन के आधार पर उसके द्वारा अन्तरण प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है, क्या वह सम्मन मूल की ही छायाप्रति है।

(g). यदि कुख्यात अभियुक्त चन्द्र शेखर शुक्ला एडवोकेट ने गैर कानूनी तरीके से बिना सम्मन तामील हुए न्यायालय के किसी भी दस्तावेज की फोटो खींची है, या छायाप्रति करायी है, या किसी अन्य माध्यम से उसे प्राप्त करने का प्रयास किया है तो उसने अपराध कारित किया है और ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध श्री मान जी को स्वयं संज्ञान लेना चाहिए और झूठा शपथपत्र प्रस्तुत करने पर उसके विरुद्ध स्वतः नियमानुसार कार्यवाही करनी चाहिए।

5. कुख्यात अभियुक्त चन्द्र शेखर शुक्ला एडवोकेट का शपथपत्र के पैरा 4 की 6 वीं लाईन में यह कथन कि " सम्मन उसके सम्मान और प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिये भेजा गया है” यह कुख्यात अभियुक्त चन्द्र शेखर शुक्ला एडवोकेट अपने सम्मान और प्रतिष्ठा की बात कर रहा है, काहे का इसका सम्मान और प्रतिष्ठा जो जनपद झाँसी का टाप- 10 अपराधी है वह अपने सम्मान और प्रतिष्ठा की बात कर रहा है। इस कुख्यात अभियुक्त चन्द्र शेखर शुक्ला एडवोकेट का पुलिस अभिलेखों में जो सम्मान दर्ज है वह इस प्रकार है:-

:- कुख्यात अभियुक्त चन्द्र शेखर शुक्ला एडवोकेट के विरुद्ध विभिन्न जनपदों व विभिन्न धाराओं में लगभग 58

12/24



मुक्तदमें दर्ज हैं, और जो थाना नवाबाद जनपद झाँसी के टाप 10 अपराधियों की सूची में सुमार है, जो एक गुन्डा, बलात्कारी व सजायाबी अभियुक्त है। वह अपने सम्मान और प्रतिष्ठा की बात करता है। ( संलग्नक सं० 01 व 02 छायाप्रति)।

:- कुख्यात अभियुक्त चन्द्र शेखर शुक्ला एडवोकेट के विरुद्ध तत्कालीन मा० जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा पत्रांक संख्या 443/ XV दिनांक 23. 02. 2010 के माध्यम से मा० महानिबन्धक महोदय मा० उच्च न्यायालय को अभियुक्त व उसके साथी प्रमोद शिवहरे एडवोकेट द्वारा न्यायालय मे कोर्ट मोहरीर के साथ मारपीट करने व सरकारी सम्पत्ति को तोड़फोड़ करने की सूचना दी गयी वह अपने सम्मान और प्रतिष्ठा की बात करता है। ( संलग्नक सं० 03 व 04 छायाप्रति)।

:- अन्य न्यायिक अधिकारियों द्वारा भी इसी तिथि पर कुख्यात अभियुक्त चन्द्र शेखर शुक्ला एडवोकेट व उसके साथी प्रमोद शिवहरे एडवोकेट द्वारा उनके न्यायालयों मे सरकारी सम्पत्ति को तोड़फोड़ करने की सूचना तत्कालीन माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को दी गयी और यह अपराधी अपने सम्मान और प्रतिष्ठा की बात करता है। ( संलग्नक सं० 05 लगायत 10 छायाप्रति)।

:- इसी तिथि पर प्रभारी अधिकारी नजारत द्वारा भी कुख्यात अभियुक्त चन्द्र शेखर शुक्ला एडवोकेट व उसके साथी प्रमोद शिवहरे एडवोकेट द्वारा न्यायालय मे सरकारी सम्पत्ति को तोड़फोड़ करने की सूचना दी गयी यह अपराधी अपने सम्मान और प्रतिष्ठा की बात करता है। ( संलग्नक सं० 11 छायाप्रति)।

:- In Re Vs Chandra Shekhar Shukla and 6 others in this case the Hon'ble Court held that **"An affidavit has been preferred on 09. 09. 2010 by the opposite party tendering unconditional apology , as well as that they will not commit any act in future lowering the dignity and magisty of any court. Besides that is was brought to our notice that criminal proceedings have been drawn against the opposite party and to considerable period they remain in jail and now they are bailed out.** In these circumstances , we accept the apology and discharge the contempt notice against the opposite party." This order was passed on dated 27. 09. 2010 in Contempt Application ( Criminal) No. 3 of 2010. ( Enclosure no 12 photocopy)।

चूँकि अभियुक्त चन्द्रशेखर शुक्ला एडवोकेट ने मा० उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत शपथपत्र में माफी माँगी और यह कहा कि वह भविष्य में किसी भी न्यायालय की गरिमा व महिमा को कम करने वाला कोई भी कार्य नहीं करेगा उसके बावजूद अभियुक्त का उक्त कृत्य अवमानना की श्रेणी में आता है अभियुक्त ने मा० उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत शपथपत्र में उल्लिखित शर्तों का उल्लंघन किया है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि अभियुक्त के खिलाफ मा० उच्च न्यायालय को सूचित करने का कष्ट करें कि अभियुक्त ने मा० उच्च न्यायालय में उक्त अवमानना मामले में दाखिल शपथपत्र की शर्तों का उल्लंघन किया है।

:- कुख्यात अभियुक्त चन्द्र शेखर शुक्ला एडवोकेट के विरुद्ध बार काउन्सिल आफ इन्डिया द्वारा दिनांक

12/25

14. 03. 2006 को Re: Removal of Proceeding No. 5/ 2005 in matter of Shri Chandra Shekhar Shukla में यह निष्कर्ष दिया गया कि "we have therefore no hesitation to hold that Shri Chandra Shekhar Shukla deliberately filed a false affidavit for the purpose of securing enrolment as advocate. As Chandra Shekhar Shukla secured enrolment as advocate by deliberately misrepresentation of essential fact and also committing fraud upon the Enrolment Committee of the State Bar Council of Uttar Pradesh, we, therefore have no hesitation to order removal of the name of of Chandra Shekhar Shukla from the rolls of the Bar Council of Uttar Pradesh by cancelling the Sanad granted to him "

The enrolment of Shri Chander Shekher shukla as advocate shall stand cancelled and the sanad which was granted to him may be directed to be returned to the Bar Council of Uttar Pradesh. ( Enclosure no 13 photocopy) ।

:- क़ख्यात अभियुक्त चन्द्र शेखर शुक्ला एडवोकेट को आप०प्रक०क्र० 815/ 2006 संस्थापित दिनांक 26. 09. 2005 मध्य प्रदेश राज्य द्वारा थाना निवाड़ी जिला टीकमगढ़ ( म० प्र०) बनाम संतराम उर्फ संतू पाल एवं दस अन्य जिन्में क्रम संख्या 11 पर अभियुक्त चन्द्रशेखर शुक्ला पुत्र के०बी० शुक्ला उम्र 50 वर्ष निवासी सिविल लाईन झाँसी में अभियुक्तगणों को धारा 147, 148, 427, 336 I. P. C. में कठोर कारावास व जुर्माना से दण्डित किया गया था और अभियुक्त चन्द्रशेखर एडवोकेट अपने सम्मान और प्रतिष्ठा की बात करता है। ( संलग्नक सं० 14 छायाप्रति) ।

:- क़ख्यात अभियुक्त चन्द्र शेखर शुक्ला एडवोकेट के बावत नियम 111 के तहत विधान परिषद उ०प्र० में भी यह मामला उठा था जिसका संक्षेप में सार इस प्रकार है:-

"दिनांक 23. 07. 2004 को पुलिस प्रशासन झाँसी द्वारा जारी की गयी अपराधियों की सूची के शीर्ष क्रमों में श्री चन्द्र शेखर शुक्ल का नाम दिया गया था। श्री शुक्ल इससे पूर्व महोबा के हिस्ट्री शीटर अपराधी रहे हैं तथा महोबा में उनकी हिस्ट्री शीट सं० 33A थी। महोबा में उनकी बढ़ती हुई अत्यधिक आपराधिक गतिविधियों के फलरूपरूप उनको जिला महोबा से जिला बदर कर दिया गया था। इसके पश्चात ये झाँसी आकर अपराध की दुनिया में लिप्त हो गये तथा झाँसी में उनकी हिस्ट्रीशीट खुल गयी है, जिसका नं० 27 है।

झाँसी में इनके उपर लगभग 40 मुकदमें चल रहे हैं जिनमें कोआपरेटिव बैंक के पीछे श्रीमती मीरा गुप्ता के मकान पर कब्जा करने का प्रयास, अपराध करने हेतु गाड़ी में नीली बत्ती लगवाकर घूमने, फर्जी पते देकर रिवाल्वर व राईफल के लाईसेन्स प्राप्त करने, बिना मानचित्र पास कराये भवन का निर्माण कराना, अनेक भवनों/ भूखण्डों पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करना तथा न्यायिक मजिस्ट्रेट झाँसी के साथ अभद्रता करना आदि शामिल है। दि० 05. 07. 2004 को प्रमुख सचिव ग्रह को पत्र लिख कर श्री चन्द्रशेखर शुक्ला

12/26

AS

द्वारा किये जा रहे तमाम आपराधिक कार्यों की जाँच सी०बी०सी०आई०डी० से कराये जाने की माँग की थी।  
(संलग्नक सं० 15 छायाप्रति)।

:- अभियुक्त चन्द्र शेखर शुक्ला एडवोकेट का जमानत प्रार्थनापत्र सं० 236/ 2010 जनपद न्यायालय झाँसी से दिनांक 29. 03. 2010 को खारिज हुआ था। (संलग्नक सं० 16 छायाप्रति)।

:- अभियुक्त चन्द्र शेखर शुक्ला एडवोकेट की पत्रावली मेरे न्यायालय से स्थानांतरित होने का कोई औचित्य ही नहीं है।

:- मेरे द्वारा श्रीमान जी को पूर्व में अवगत कराया गया था कि अभियुक्त चन्द्र शेखर शुक्ला एडवोकेट जिन मामलों में या तो स्वयं अभियुक्त है या वह अभियुक्त का अधिवक्ता है, या रहा है, उसने संभवतया उन पत्रावलियों में से या तो कोई दस्तावेज निकाला हो या फिर पूरी की पूरी पत्रावलियों को ही गायब करा दिया होगा और संभवतया कुछ पत्रावलियों या दस्तावेज को पुनर्गठित करने की कार्यवाही भी चल रही होगी।

:- अभियुक्त चन्द्र शेखर शुक्ला एडवोकेट द्वारा इस प्रकार का झूठा प्रार्थनापत्र क्यों प्रस्तुत किया जा रहा है, मेरे द्वारा पूर्व के पत्र में बताया गया था।

:- अभियुक्त चन्द्र शेखर शुक्ला एडवोकेट द्वारा जब श्रीमान महोदया के समक्ष स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया था, महोदया को उसी समय अभियुक्त चन्द्र शेखर शुक्ला एडवोकेट का सम्मन अवलोकन करना चाहिये था और यदि अभियुक्त मूल सम्मन दिखा पाने में असफल होता तो उसके विरुद्ध झूठा स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र व शपथपत्र दाखिल करने पर उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करनी चाहिये थी जोकि महोदया द्वारा नहीं की गयी और न ही अभियुक्त से यह पूछा गया कि उसके पास उक्त जुड़ा हुआ सम्मन कैसे प्राप्त हुआ और उसने छायाप्रति कहां से करायी और जो सफेदा लगा हुआ दर्शित हो रहा है वह किन कारणों से लगा हुआ है, और न ही महोदया द्वारा अभियुक्त चन्द्र शेखर शुक्ला एडवोकेट से यह पूछा गया कि उसने जो सम्मन प्राप्त किया है, उन दोनों जुड़े सम्मन में से कौन सा सम्मन उसने प्राप्त किया।

श्री प्रमोद शिवहरे एडवोकेट द्वारा दिनांक 03. 12. 2021 को झाँसी क्लब झाँसी में दिये गये अशोभनीय भाषण के बावत मेरे द्वारा माननीय महोदया को पत्र प्रेषित कर कार्यवाही करने हेतु सूचित किया जा चुका है।

यद्यपि मेरे द्वारा पूर्व में इस तथ्य को अवगत कराया जा चुका है कि जो सम्मन की छायाप्रति मुझे स्पष्टीकरण हेतु प्रेषित की गयी थी वह मूल की छायाप्रति नहीं है। किन्तु महोदया द्वारा मेरे उक्त कथनों पर संज्ञान ही नहीं लिया गया और अभियुक्त चन्द्रशेखर शुक्ला एडवोकेट को संरक्षण प्रदान किया जा रहा है जिससे उसे बल मिल रहा है जिससे वह आगे भी कोई अन्य अपराध मेरे प्रति कारित कर सकता है। पुनः मुझे जो छायाप्रति प्रदान की गयी, वह मूल की छायाप्रति नहीं है।

:- अभियुक्त चन्द्र शेखर शुक्ला एडवोकेट ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अवमानना मामले में दाखिल शपथपत्र की शर्तों का उल्लंघन किया है। अतः अभियुक्त/ शिकायतकर्ता चन्द्र शेखर शुक्ला एडवोकेट के विरुद्ध संबंधित पत्रावली में अवमानना की कार्यवाही हेतु पृथक से पत्र प्रेषित किया जा रहा है। उक्त आख्या की एक प्रति मय संलग्नक की छायाप्रति सहित संबंधित पत्रावली में रखा जाये।

:- श्रीमान महोदया से निवेदन है कि अभियुक्त चन्द्र शेखर शुक्ला एडवोकेट द्वारा गलत व झूठा अन्तरण

12/27



प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत करने व Contempt Application (Criminal) No 3 of 2010 In Re Vs Chandra Shekhar Shukla and 6 others मे दाखिल शपथपत्र की शर्तों का उल्लंघन करने पर अभियुक्त चन्द्र शेखर शुक्ला एडवोकेट के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु स्वतः संज्ञान लेते हुये कार्यवाही करने की कृपा करें व माननीय उच्च न्यायालय को इस संबंध में अवगत कराने की कृपा करें। ( संलग्नक सं०-12 छायाप्रति)।

भवदीय



( विमल प्रकाश आर्य )

दिनांक: 22. 12. 2021

अपर सत्र न्यायाधीश ( F. T. C. ), झांसी।

( चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित )।

संलग्नक

1. खुशनुमा कनिष्ठ लिपिक द्वारा दी गयी आख्या की छायाप्रति ( 1 )।

कुल संलग्नक ( 36 )

L.S. No. 1 P.L.

नोट: दिनांक 22. 12. 2021 को कार्यालय की डाकवही में चढ़वाकर भिजवाया गया।

12/28

सेवा में

श्रीमान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / ( F. T. C. ) झांसी ।  
( चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित)

विषय:- नोटिस बावत प्रकीर्ण अपील सं० 429/ 2021 राज्य बनाम चन्द्रशेखर शुक्ला एडवोकेट के विरुद्ध जारी सम्मन के सम्बन्ध में आख्या प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

सादर ससम्मान निवेदन करना है कि प्रार्थिया ने जो सम्मन जारी किया है चन्द्रशेखर शुक्ला एडवोकेट के विरुद्ध उसमें कोई सफेदा नहीं लगा है और उक्त जारी किये गये सम्मन में मुकदमा न० और धारा एवं थाने का उल्लेख किया गया है ।

उक्त सम्मन को नवाबाद पैरोकार को दिनांक 01. 12. 2021 प्राप्त कराया गया जिसका विवरण सम्मन जारी करने वाले रजिस्टर में अंकित भी है ।

दूसरा सम्मन जो सफेदा लगा हुआ है उसकी प्रार्थिया को कोई जानकारी नहीं है और न ही ऐसा कोई सम्मन कार्यालय से जारी किया गया जहां सम्मन पर सफेदा लगा हुआ है वहां कार्यालय लिपिक द्वारा prepared and check by me लिखा जाता है ।

प्रार्थिया की उपस्थिति में न तो चन्द्रशेखर शुक्ला एडवोकेट ने ना ही उनके द्वारा किसी ने कार्यालय में आकर कोई पत्रावली देखी न ही कोई फोटों खींची । अगर प्रार्थिया की अनुपस्थिति में किसी ने कार्यालय में आकर फोटों खींची हो तो इसका प्रार्थिया को संज्ञान नहीं है ।

प्रार्थिया द्वारा जो भी सही तथ्य एवं जानकारी थी वह सारे तथ्य एवं जानकारी श्रीमान जी को बता दी गयी है कोई भी तथ्य एवं जानकारी छिपायी नहीं गयी । आख्या श्रीमान जी की सेवा में सादर प्रेषित है ।

प्रार्थिया

*ShuJhanna*  
( खुशनुमा )

दिनांक- 20. 12. 2021

( सहायक लिपिक )

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / ( F. T. C. ) झांसी ।

( चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित )

12/29

नया आदेश

दिनांक- २२-१२-२०२१

समय ०३.३० पी०एम०

पत्रावली ०३.३० ए.जे. पुनः मेरे समक्ष प्रस्तुत हुई।

कार्यालय लिपिक द्वारा बताया गया कि अभी तक सम्बन्धित न्यायालय से कोई आख्या प्राप्त नहीं हुई है।

आवेदक की ओर से यह कहा गया है कि उनके विरुद्ध व्यक्तिगत द्वेष के कारण बतौर अभियुक्त एक सम्मन भेजा गया है जिसमें मुकदमा नम्बर, धारा या थाना अंकित नहीं है। आवेदक की ओर से शपथपत्र सहित उक्त सम्मन की फोटोप्रति प्रस्तुत है, जो कागज संख्या-५बी है।

इन परिस्थितियों में यह आदेश किया जाता है कि सम्बन्धित समस्त अभिलेख सम्बन्धित न्यायालय से तलब हो और मेरे समक्ष दिनांक २३-१२-२०२१ को प्रस्तुत हो।



Copy or order forwarded to... ADJFC 14th F.C.  
for information & Necessary Action

(जयत्सना शर्मा)  
सत्र न्यायाधीश,  
झाँसी।

By Order  
Sadar Munsarim/Sessions Clerk  
Sessions Judge  
Jhansi (U.P.)

२२/१२/२०२१  
पत्रावली निम्न लिखित न्यायालय  
की ओर सम्बन्धित आदेश न्यायालय  
करे।  
२२-१२-२०२१

दिनांक 23 12 2021  
विषय: विद्यालय प्रशासन संबंधी  
आदेश: विद्यालय प्रशासन संबंधी  
विषय: विद्यालय प्रशासन संबंधी

विषय: विद्यालय प्रशासन संबंधी  
विषय: विद्यालय प्रशासन संबंधी

विषय: विद्यालय प्रशासन संबंधी  
विषय: विद्यालय प्रशासन संबंधी

विषय: विद्यालय प्रशासन संबंधी  
विषय: विद्यालय प्रशासन संबंधी

आदेश  
दिनांक 23 12 2021

विषय: विद्यालय प्रशासन संबंधी  
विषय: विद्यालय प्रशासन संबंधी

आदेश: दिनांक 23 12 2021 को कार्यवाही की जायगी कि प्रशासन विभाग को सूचित किया जाय।

सेवा में,

माननीया जनपद एवं सत्र न्यायाधीश महोदया,  
झोंसी

**विषय :-** अपर सत्र न्यायाधीश (एफ०टी०सी० द्वितीय) श्री विमल प्रकाश आर्य द्वारा प्रतिशोध की भावना से विधि विरुद्ध पत्रावली तैयार कर अपमानित करने के उद्देश्य से कार्यवाही करने के सम्बन्ध में :-

महोदया,

विनम्र निवेदन है कि मेरे द्वारा पूर्व में श्री विमल प्रकाश आर्य की शिकायत महोदया से और माननीय उच्च न्यायालय में की थी जिससे रूष्ट होकर प्रतिशोध की भावना से उनके द्वारा एक पत्रावली तैयार की गयी है जिसका क्रि०मि०न०-428/2021 है जो एस०टी०न०-169/2017 सरकार बनाम अमान आदि से सम्बन्धित पत्रावली में मुझे अभियुक्त के रूप में सम्मन भेजा गया है जबकि प्रार्थी एस०टी०न०-169/2017 में सरकार गवाह है और उसमें दिनांक-24.12.2021 (आज की तिथि) अंकित है मुझे यह सम्मन रात्रि में थाना रक्सा की पुलिस द्वारा दिया गया है जिसकी छायाप्रति साथ में संलग्न है श्री आर्य योजनाबद्ध तरीके से कोई गम्भीर षड़यंत्र मेरे विरुद्ध कर रहे है और मुझे जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। सम्मन के सम्मान में मैं श्रीमान जी के समक्ष उपस्थित हूँ श्री विमल प्रकाश आर्य के न्यायालय में मुझे उपस्थित होने में खतरा है एस०टी०न०-169/2017 सरकार बनाम अमान आदि पत्रावली अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-४ में महोदया के आदेशानुसार अन्तरित की जा चुकी है इसके पूर्व भी मेरे द्वारा माननीय महोदया को श्री विमल प्रकाश आर्य की कई शिकायते की जा चुकी है।

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि उक्त पत्रावली मंगाकर प्रार्थी के हस्ताक्षर कराने और जो भी विधि अनुसार कार्यवाही हो कराने की कृपा करें।

दिनांक-24.12.2021

द्वारा सिंह प्रार्थी

24/12/21  
C.S. Shukla  
Awb

दारा सिंह पुत्र श्री बृंदावन सिंह  
निवासी ग्राम पुनावलीकला थाना  
रक्सा जिला झोंसी उ०प्र०।

### Order

Seen, Call for comments from concerned judicial officer within 03 days.



क्रिठ मिडलब - 428/2024  
सरकार वनाकदर सि.ए.

# अभियुक्त व्यक्ति का सम्मन

SH/20-169/2024  
सरकार वनाकदर सि.ए.  
(आदि से जावकिस)

न्यायालय NJC FTC 14th F.C. Jhansi

नाम. कारासिंह पुत्र वृद्धन सिंह निवासी  
ग्राम पुनपलीकला थाना रक्षा, झांसी

चूंकि आपकी उपस्थिति वास्ते अभियुक्त.....

..... देने हेतु

अनिवार्य है अतः आप स्वयं न्यायालय उपरोक्त के समक्ष

दिनांक 24.12.21 को सुबह 10 बजे

उपस्थित हों ऐसा करने में त्रुटि न हो।

आज दिनांक 30.11.21 को दिनांकित

Checked  
by me  
[Signature]



[Signature]  
30.11.2021  
हस्ताक्षर  
मजिस्ट्रेट  
(चौहदरी दित्त, व आयोग के तहत गाठित), झांसी

प्रेषक

( विमल प्रकाश आर्य )

अपर सत्र न्यायाधीश ( F. T. C. ), झांसी ।

( चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित ) ।

सेवा में

श्रीमान जनपद न्यायाधीश

झांसी ।

विषय

: अभियुक्त व दुष्ट शिकायतकर्ता दारा सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांकित 24. 12. 2021 पर पारित आदेश दिनांकित 01. 01. 2022 के सम्बन्ध में ।

महोदया


सादर अवगत कराना है कि S. T. No. 169/ 2017 राज्य बनाम अमान आदि की पत्रावली मेरे न्यायालय से स्थानांतरित हो चुकी है । अभियुक्त व दुष्ट शिकायतकर्ता दारा सिंह द्वारा उक्त मामले में बतौर साक्षी वारन्ट रिकाल प्रार्थनापत्र मय निजीबन्ध पत्र दाखिल किया । दुष्ट शिकायतकर्ता दारा सिंह पुकार के समय न तो उपस्थित रहा और न ही दुष्ट अभियुक्त न्यायालय कार्यावधि के दौरान उपस्थित रहा । दुष्ट शिकायतकर्ता व अभियुक्त दारा सिंह के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की गयी है ।

साथ ही यह भी अवगत कराना है कि अन्तरण प्रार्थनापत्र सं० 411 सन 2021 दारा सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अमान में मेरे द्वारा अपनी आख्या दिनांकित 24. 11. 2021 में यह उल्लिखित किया था कि " मैं इस प्रार्थनापत्र के बावत अपनी टिप्पणी/ आख्या पुनः प्रेषित करने का अधिकार सुरक्षित रखते हुए निवेदन करना चाहता हूँ कि उक्त अन्तरण प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों को अपने विश्राम कक्ष में तलब कर सत्यता ज्ञात करने का कष्ट करें जिसमें मेरे अतिरिक्त कुछ अन्य वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी भी उपस्थित हों तथा मेरे न्यायालय के कार्यरत कर्मचारियों से भी इस बावत पूछताछ कर जाँच करने का कष्ट करें और इस तरह झूठी शिकायत करने वाले व्यक्तियों व उनके अधिवक्ता के विरुद्ध अपने स्तर से कार्यवाही करने की कृपा करें । "

अत्यन्त कष्ट के साथ अवगत कराना है कि श्रीमान महोदया द्वारा इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी, इसी कारण ऐसे तुच्छ, दुष्ट, नीच अभियुक्त दारा सिंह का मनोबल इस तरह की झूठी शिकायत करने का मनोबल बढ़ रहा है और उसकी मनोवृत्ति को बढ़ावा मिल रहा है ।

अतः पुनः महोदया से निवेदन है कि मेरे पत्र दिनांकित 24. 11. 2021 के प्रकाश में निष्पक्ष जाँच मेरी व कुछ अन्य वरिष्ठ न्यायिक अधिकारियों की उपस्थिति में जाँच शीघ्रातिशीघ्र कराने की कृपा करें ।

भवदीय

  
03.01.2022  
( विमल प्रकाश आर्य )

दिनांक: 03. 01. 2022

अपर सत्र न्यायाधीश ( F. T. C. ), झांसी ।

( चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित ) ।

**नोट: दिनांक 03. 01. 2022 को कार्यालय की डाकवही में चढ़वाकर भिजवाया गया ।**

प्रेषक

( विमल प्रकाश आर्य )

अपर सत्र न्यायाधीश ( F. T. C. ), झांसी ।

( चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित ) ।

सेवा में

श्रीमान जनपद न्यायाधीश

झांसी ।

विषय

: अभियुक्त व दुष्ट शिकायतकर्ता दारा सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांकित 24. 12. 2021 पर पारित आदेश दिनांकित 01. 01. 2022 के सम्बन्ध में ।

महोदया


सादर अवगत कराना है कि S. T. No. 169/ 2017 राज्य बनाम अमान आदि की पत्रावली मेरे न्यायालय से स्थानांतरित हो चुकी है । अभियुक्त व दुष्ट शिकायतकर्ता दारा सिंह द्वारा उक्त मामले में बतौर साक्षी वारन्ट रिकाल प्रार्थनापत्र मय निजीबन्ध पत्र दाखिल किया । दुष्ट शिकायतकर्ता दारा सिंह पुकार के समय न तो उपस्थित रहा और न ही दुष्ट अभियुक्त न्यायालय कार्यावधि के दौरान उपस्थित रहा । दुष्ट शिकायतकर्ता व अभियुक्त दारा सिंह के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की गयी है ।

साथ ही यह भी अवगत कराना है कि अन्तरण प्रार्थनापत्र सं० 411 सन 2021 दारा सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अमान में मेरे द्वारा अपनी आख्या दिनांकित 24. 11. 2021 में यह उल्लिखित किया था कि " मैं इस प्रार्थनापत्र के बावत अपनी टिप्पणी/ आख्या पुनः प्रेषित करने का अधिकार सुरक्षित रखते हुए निवेदन करना चाहता हूँ कि उक्त अन्तरण प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों को अपने विश्राम कक्ष में तलब कर सत्यता ज्ञात करने का कष्ट करें जिसमें मेरे अतिरिक्त कुछ अन्य वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी भी उपस्थित हों तथा मेरे न्यायालय के कार्यरत कर्मचारियों से भी इस बावत पूछताछ कर जाँच करने का कष्ट करें और इस तरह झूठी शिकायत करने वाले व्यक्तियों व उनके अधिवक्ता के विरुद्ध अपने स्तर से कार्यवाही करने की कृपा करें "

अत्यन्त कष्ट के साथ अवगत कराना है कि श्रीमान महोदया द्वारा इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी, इसी कारण ऐसे तुच्छ, दुष्ट, नीच अभियुक्त दारा सिंह का मनोबल इस तरह की झूठी शिकायत करने का मनोबल बढ़ रहा है और उसकी मनोवृत्ति को बढ़ावा मिल रहा है ।

अतः पुनः महोदया से निवेदन है कि मेरे पत्र दिनांकित 24. 11. 2021 के प्रकाश में निष्पक्ष जाँच मेरी व कुछ अन्य वरिष्ठ न्यायिक अधिकारियों की उपस्थिति में जाँच शीघ्रातिशीघ्र कराने की कृपा करें ।

भवदीय

  
03.01.2022

दिनांक: 03. 01. 2022

( विमल प्रकाश आर्य )

अपर सत्र न्यायाधीश ( F. T. C. ), झांसी ।

( चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित ) ।

नोट: दिनांक 03. 01. 2022 को कार्यालय की डाकवही में चढ़वाकर भिजवाया गया ।

05/01/2022  
Recd  
07-1-22  
19:25 PM

सेवा में,  
माननीया जनपद एवं सत्र न्यायाधीश महोदया,  
झोंसी

**विषय :-** अपर सत्र न्यायाधीश (एफ०टी०सी० द्वितीय) श्री विमल प्रकाश आर्य द्वारा प्रतिशोध की भावना से विधि विरुद्ध पत्रावली तैयार कर अपमानित करने के उद्देश्य से जांच/कार्यवाही करने के सम्बन्ध में :-

महोदया,  
विनम्र निवेदन है कि मेरे द्वारा पूर्व में श्री विमल प्रकाश आर्य की शिकायत महोदया से और माननीय उच्च न्यायालय में की थी जिससे रूख होकर प्रतिशोध की भावना से उनके द्वारा एक पत्रावली तैयार की गयी है जिसका क्रि०मि०न०-428/2021 है जो एस०टी०न०-169/2017 सरकार बनाम अमान आदि से सम्बन्धित पत्रावली में मुझे अभियुक्त के रूप में सम्मन भेजा गया है जबकि प्रार्थी एस०टी०न०-169/2017 में ब्रादी की ओर से अधिवक्ता है और उसमें दिनांक-24.12.2021 की तिथि अंकित थी मुझे यह सम्मन थाना नवावाद की पुलिस द्वारा दिया गया है श्री आर्य योजनाबद्ध तरीके से कोई गम्भीर षडयंत्र मेरे विरुद्ध कर रहे हैं और मुझे जानबूझकर परेशान किया जा रहा है । जिसके सम्बन्ध में मेरे द्वारा न्यायालय में द०प्र०सं० की धारा-408 के अन्तर्गत अन्तरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसमें महोदया, द्वारा दिनांक-24.12.2021 को एक आदेश पारित किया गया था पारित आदेश के क्रम में अपर सत्र न्यायाधीश (एफ०टी०सी० द्वितीय) श्री विमल प्रकाश आर्य द्वारा मेरे विरुद्ध कोई जांच की जा रही है और मुझे तरह तरह से प्रताड़ित कर आत्महत्या करने के लिये विवश कर रहे हैं मैं उस न्यायालय में जाने में पूर्णतः असमर्थ हूँ मुझे यह भी आशंका है कि श्री विमल प्रकाश आर्य मेरे विपक्षियों से मिलकर मेरी हत्या कराना चाहते हैं मेरे द्वारा उनके विरुद्ध कई शिकायतें की गई हैं उन्हें नियमतः मेरे विरुद्ध जांच करने का कोई अधिकार नहीं है यदि मेरे व मेरे परिवार के साथ कोई हादसा होता है तो इसकी पूरी जिम्मदारी श्री विमल प्रकाश आर्य की होगी मुझे यह भी ज्ञात हुआ है कि श्री विमल प्रकाश आर्य द्वारा की जा रही जांच में दिनांक-06.01.2022 तिथि नियत की गई है।

अतः महोदया, से प्रार्थना है कि मेरे विरुद्ध जो भी जांच उनके द्वारा की जा रही हो वह किसी अन्य न्यायिक अधिकारी से कराने की कृपा करें ।

~~दिनांक-05.01.2022~~

भवदीय  
05/01/22

(चन्द्रशेखर शुक्ला)

**Order**

सी०जे०एम० कोर्ट कम्पाऊड झोंसी

Seen, Call for comments from concerned  
judicial officer within 07 days

प्रेषक (विमल प्रकाश आर्य)  
अपर सत्र न्यायाधीश (F. T. C.), झांसी।  
(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित)।

सेवा में श्रीमान जनपद न्यायाधीश  
झांसी।

विषय : अभियुक्त व कुख्यात अपराधी चन्द्रशेखर शुक्ला एडवोकेट के प्रार्थनापत्र दिनांकित  
05. 01. 2022 पर श्रीमान जी द्वारा पारित आदेश दिनांक 06. 01. 2022 के सम्बन्ध में  
आख्या 18

महोदया


सादर अवगत कराना है कि ~~शिकायतकर्ता चन्द्रशेखर शुक्ला एडवोकेट एक कुख्यात, जिला  
बदर, दोषसिद्ध व कुख्यात अपराधिक इतिहास वाला अभियुक्त है जिसके उपर स्वयं लगभग 58 मुकदमों में  
पंजीकृत है।~~

अभियुक्त को संरक्षण प्राप्त होने के आधार पर उसने झूठा व कपोल - कल्पित तथ्यों के आधार  
पर उक्त प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है। अभियुक्त ने जो भी आरोप लगाकर प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है, पूर्णतया  
असत्य व निराधार है।

मेरे द्वारा जो भी कार्य, नोटिस या सम्मन आदि जारी किया जा रहा है, विधि अनुसार ही जारी  
किया जा रहा है।

~~अभियुक्त के इस तरह या पूर्व में प्रस्तुत प्रार्थनापत्रों से मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि अभियुक्त को  
संरक्षण प्राप्त है और अभियुक्त स्वयं या किसी के द्वारा मेरे या मेरे परिवार के किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी  
अप्रिय घटना घटित करा सकता है, यदि मेरे या मेरे परिवार के किसी सदस्य के साथ किसी भी प्रकार की कोई  
भी अप्रिय घटना घटित होती है तो उक्त अभियुक्त के साथ - साथ वह समस्त व्यक्ति पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे  
जिन्होंने मेरे उपर दवाब डालने के लिए गलत व झूठे तथ्यों के आधार पर शिकायती प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किये हैं।~~  
आख्या सादर प्रेषित।

दिनांक: 07. 01. 2022

भवदीय  
  
07.01.2022  
(विमल प्रकाश आर्य)

अपर सत्र न्यायाधीश (F. T. C.), झांसी।

(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित)।

नोट: दिनांक 07. 01. 2022 को कार्यालय की डाकवही में चढ़वाकर भिजवाया गया।

LSn. No. 5425

^

05  
7-1-22  
2  
7-1-22  
5-15 PM

प्रेषक (विमल प्रकाश अर्से)  
आप सत्र न्यायाधीश (F. T. C.), झांसी।  
(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित)।

सेवा में श्रीमान जनापद न्यायाधीश  
झांसी।

विषय : अभियुक्त व कुख्यात अपराधी चन्द्रशेखर शुक्ला एडवोकेट के प्रार्थनापत्र दिनांकित  
05. 01. 2022 पर श्रीमान जी द्वारा पारित आदेश दिनांक 06. 01. 2022 के सम्बन्ध में  
आख्या 12

महोदया

सादर अवगत कराना है कि शिकायतकर्ता चन्द्रशेखर शुक्ला एडवोकेट एक कुख्यात, जिला  
बदर, दोषसिद्ध व कुख्यात अपराधिक इतिहास वाला अभियुक्त है जिसके उपर स्वयं लगभग 58 मुकदमों  
पंजीकृत है।

अभियुक्त को संरक्षण प्राप्त होने के आधार पर उसने झूठा व कपोल-कल्पित तथ्यों के आधार  
पर उक्त प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है। अभियुक्त ने जो भी आरोप लगाकर प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है, पूर्णतया  
असत्य व निराधार है।

मेरे द्वारा जो भी कार्य, नोटिस या सम्मन आदि जारी किया जा रहा है, विधि अनुसार ही जारी  
किया जा रहा है।

अभियुक्त के इस तरह या पूर्व में प्रस्तुत प्रार्थनापत्रों से मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि अभियुक्त को  
संरक्षण प्राप्त है और अभियुक्त स्वयं या किसी के द्वारा मेरे या मेरे परिवार के किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी  
अप्रिय घटना घटित करा सकता है, यदि मेरे या मेरे परिवार के किसी सदस्य के साथ किसी भी प्रकार की कोई  
भी अप्रिय घटना घटित होती है तो उक्त अभियुक्त के साथ-साथ वह समस्त व्यक्ति पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे  
जिन्होंने मेरे उपर दबाव डालने के लिए गलत व झूठे तथ्यों के आधार पर शिकायती प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किये हैं।

आख्या सादर प्रेषित।

दिनांक: 07. 01. 2022 के  
The officer to  
clearly give details as to  
if any further details are to  
be given to the applicant personally  
of any nature or manner has been made  
in connection with my inquiry. No copy  
be sent to the undersigned  
is desired about the order to  
complete within  
7 days  
10/1/22

भवदीय  
07.01.2022  
(विमल प्रकाश अर्से)

अपर सत्र न्यायाधीश (F. T. C.), झांसी।  
(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित)।

प्रतिलिपि... A.P.J./F.T.C.:...  
(14 F.C.)  
Thant  
सूचनार्थ एवं आवश्यक अनुपालन  
हेतु प्रेषित। अज्ञा से

12/31

10.01.2022

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी  
जिला न्यायालय, झांसी  
10/01/2022

विश्राम कक्ष:

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश ( F. T. C. ), झाँसी ।  
( चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित ) ।

दिनांक: 07. 01. 2022

नोटिस

बनाम

श्री चन्द्रशेखर शुक्ल एडवोकेट  
CJM कम्पाउन्ड झाँसी ।

विषय : फौजदारी प्रकीर्ण वाद सं० 429/ 2021 बनाम चन्द्रशेखर शुक्ला की पत्रावली में श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदया को कूटरचित तरीके से शिकायती प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र व सम्मनों की छायाप्रतियाँ प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में ।

आपके द्वारा श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदया को दिनांक 01. 12. 2021 को जो झूठी शिकायत मय शपथपत्र व मय दो किता जुड़वा सम्मन की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित की थी । आपकी उक्त शिकायत से यह ज्ञात होता है कि आपके पास शिकायत करने की तिथि पर उक्त दोनों सम्मन मूल रूप से थे जिसके आधार पर आपके द्वारा झूठी व फर्जी शिकायत की गयी थी, और आपने उक्त दोनों जुड़वा सम्मन श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदया को सुनवाई के समय दिखाये भी होंगे और बिना जुड़वा सम्मन, अवलोकन के मुझसे आख्या माँगे जाने का आधार ही नहीं है ।

दिनांक 23. 12. 2021 को आपको जो सम्मन तामील हुआ वह स्कल्टन पत्रावली पर संलग्न है । आपके शिकायती प्रार्थनापत्र के अनुसार आपके पास कुल तीन ( 03 ) किता सम्मन होने चाहिए जिसमें से दो जुड़वा सम्मन जिसमें एक पर सफेदा लगा हुआ है और एक वह जो दिनांक 23. 12. 2021 को आप पर बजातखास तामील हुआ ।

अतः आपको आदेशित किया जाता है कि आप दिनांक 11. 01. 2022 को समय अपराह्न 13:00 बजे तक उक्त तीनों मूल सम्मन के बावत अपनी आख्या मय शपथपत्र प्रस्तुत करें कि शिकायती प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न जुड़वा सम्मन आपको किस तिथि पर प्राप्त हुआ यदि आप नियत तिथि व समय पर आदेश का अनुपालन

पेपक 2

कारणों से विफल रहते हैं तो आपके विरुद्ध नियमानुसार कूटरचित तरीके से फर्जी शिकायत मय शपथपत्र करने व कूटरचित झुंडवा सम्मन की छायापतिया अपने पास रखने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जायेगी साथ ही इस सम्मन की सूचना श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदया के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय को नियत तिथि पर आपके विरुद्ध उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दी जायेगी।

पेपक - 1 निमल प्रकाश  
अपर जिला  
F.T.C कोर्ट

दिनांक: 07.01.2022

अप  
07.01.2022  
(विमल प्रकाश आर्य)

अपर सत्र न्यायाधीश (F. T. C.), झांसी।  
(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित)।

प्रतिनिधि:

श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदया को इस आशय से प्रेषित की शिकायतकर्ता, कुख्यात अभियुक्त, दोषसिद्ध व जिला बंदर डिड्डान अधिवक्ता श्री चन्द्रशेखर शुक्ला के विरुद्ध उनके समक्ष गलत, फर्जी व कूटरचित तरीके से दस्तावेज मय शपथपत्र तैयार कर प्रस्तुत करने पर उसके विरुद्ध स्वयं नियमानुसार कार्यवाही करने की कृपा करें तथा कुख्यात अभियुक्त के उक्त कृत्य की सूचना माननीय उच्च न्यायालय को दिये जाने की कृपा करें।

(विमल प्रकाश आर्य)  
अपर सत्र न्यायाधीश (F. T. C.), झांसी।  
(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित)।

श्री मान जी.

मूल प्रति प्राप्त की

लादर धरगत मान है  
कि शपथ-पत्र मेरे द्वारा  
माठ जनपद न्यायाधीश महोदया  
के न्यायालय में दिनांक 07/01/22  
जिसकी जांच इसके माठ अधिवक्ता  
द्वारा की जा रही है मेरी फर्जी शिकायत है और  
मुझे आपके यहाँ जाने के जमानत मिलने से  
मेरे विरुद्ध कोई भी बयान्त का संकलन है।  
या ही आप की माठ न्यायाधीशों को अपने  
विश्वास अर्थ में शुक्रार्थ जो भी बूझ बूझ कर  
कारण अन्वेषण मेरे द्वारा माठ जनपद न्यायाधीश को  
अर्पित कर दिया जा रहा है जो भी उनका फायदा  
होगा फलान किया जायेगा मेरे विरुद्ध जांच  
नहीं करके चरित्र वेगिना आपका स्वयं स्वीकार भी है।

श्रीमान जी, आज दि 10/01/22  
को जकी परिसर में पहुँचकर  
चन्द्रशेखर शुक्ला को एक फिल  
नोटिस लेकर हस्ताक्षर मित्र  
और अपनी बहरीर कंगिल की  
रिपोर्ट सेवा में उपस्थित  
दि 07/01/22 को लखन प्रसाद  
ने मेरे लक्ष्य वसुध बपान  
जिना कि उक्त लगी विपरीत  
सही बलव है।  
10.1.22  
A.C.M

अप  
10/01/2022



संवा गे.

पेपल :-

9B  
1

पेपल :- बिनल प्रकारा आर्य  
अप्य जितान् एवं भद्रं वाया धरिषी  
P.T.C कौंसी (सौद्वेषी विह आयोग)  
वे. गणराज्य द्वारा शक्ति

श्री-चन्द्रशेखर शुक्ला एडवोकेट

श्री. जे. राम. कान्हाड

जिला 'वायालय' कौंसी

श्रीमान,

आज दिनांक 13/1/22 को सुबह 10:30 बजे श्री-चन्द्रशेखर शुक्ला (एडवोकेट) के बयते पर पहुंचे। वहाँ उम समय मौजूद नहीं मिले। आधी (12:10 बजे) कान्हाड, कौंसी पहुंचकर चन्द्रशेखर शुक्ला (एडवोकेट) को तलाश किया। भीके पर चन्द्रशेखर शुक्ला मौजूद मिले श्री-चन्द्रशेखर शुक्ला जी को जे.राम (मिफाफा) के बारे में बताया, उन्हे शक किताब बेद मिफाफा लेने से इनकार कर दिया। अतः शक किताब बेद मिफाफा मूल रूप से वापिस।

रिपोर्ट केवा में आपर प्रेषित है।

मंसिरा लोन  
(P.S.)  
-जायस शुक्ला  
जिला जज, कौंसी

Recd  
28-1-22  
13-40-PM

सेवा में,

माननीया जनपद एवं सत्र न्यायाधीश महोदया,

झोंसी

**विषय :- अपर सत्र न्यायाधीश (एफ०टी०सी० द्वितीय) श्री विमल प्रकाश आर्य द्वारा प्रेषित नोटिस दिनांकित 07.01.2022 के सम्बन्ध में :-**

महोदया,

सादर अवगत कराना है कि फौजदारी के प्रकीर्ण वाद संख्या-429/2021 बनाम चन्द्रशेखर शुक्ला की पत्रावली के सम्बन्ध मुझे दिनांक-10.01.2022 को पुनः एक नोटिस प्रेषित किया गया है जिसकी छाया प्रति और मेरे द्वारा नोटिस पर अंकित टिप्पणी जो श्री आर्य को प्रेषित की है साथ में संलग्न है उनके द्वारा आय दिन नोटिस भेजा जाता है और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है जब मामला महोदया के संज्ञान में है और एक न्यायाधीश महोदय को जांच सौंपी गयी है तो ~~श्री आर्य~~ को जांच करने का कोई अधिकार नहीं है उनके ~~द्वारा नोटिस~~ में ~~अभद्र एवं अशिष्ट और प्रतिष्ठा को धूमिल करने हेतु फर्जी उल्लेख किया है~~ जिसकी भी जांच होना आवश्यक है अगर उनके द्वारा उल्लेख किये गये विवरण असत्य है तो उनके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होना चाहिये ~~और अगर मेरे द्वारा कोई भी असत्य शपथपत्र या कूट रचित कागज तैयार किया गया है तो मेरे विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होना चाहिये~~ एक न्यायिक अधिकारी होने के नाते अगर उनके विरुद्ध कोई शिकायत की गई है तो उन्हे स्वयं अपनी शिकायत की जांच नहीं करना चाहिये मेरी उनसे रजिंश है इस सम्बन्ध में पूर्व में भी महोदया को अवगत करा चुका हूँ उक्त प्रकरण में अन्तरण की कार्यवाही भी प्रचलित है जिसमें दिनांक-28.01.2022 तिथि नियत है ।

अतः महोदया से प्रार्थना है कि न्यायहित में न्यायोचित आदेश पारित करने की कृपा करें ।

दिनांक-11.01.2022

भवदीय

(चन्द्रशेखर शुक्ला)

सी०जे०एम० कोर्ट कम्पाउंड झोंसी

प्रतिरिपि A.D.7.1.F.T.C.  
(14 F.C.)  
सूचनार्थ एवं आवश्यक अनुपालन हेतु प्रेषित ।  
27/1/22

प्रेषक ( विमल प्रकाश आर्य )  
अपर सत्र न्यायाधीश ( F. T. C. ), झाँसी ।  
( चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित ) ।

सेवा में श्रीमान जनपद न्यायाधीश  
झाँसी ।

विषय : अभियुक्त व कुख्यात अपराधी चन्द्रशेखर शुक्ला एडवोकेट के प्रार्थनापत्र दिनांकित  
11. 01. 2022 पर श्रीमान जी द्वारा पारित आदेश दिनांक 27. 01. 2022 के सम्बन्ध में ।

महोदया

सादर अवगत कराना है कि अभियुक्त ने स्वयं के पास एक अदद जुड़वा सम्मन होने के आधार पर झूठी व फर्जी शिकायत की है । एक अदद जुड़वा सम्मन में एक पर सफेदा लगा हुआ प्रतीत हो रहा है । अभियुक्त को आदेशित किया गया है कि वह न्यायालय के समक्ष उक्त मूल सम्मन प्रस्तुत करे जिससे इस बाबत उचित कार्यवाही की जा सके ।


किसी भी अभियुक्त के पास दो किता जुड़वा सम्मन होने का कोई भी पर्याप्त आधार हो ही नहीं सकता ।

अवगत कराना है कि अभियुक्त एक शातिर किस्म का अपराधी है । अभियुक्त अपनी प्रतिष्ठा की बात करता है कि न्यायालय के नोटिस से उसकी प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है । जिस अभियुक्त पर लगभग 58 मुकदमों में चल रहे हैं, जो दोषसिद्ध है, जिसे जिला बदर किया जा चुका है, जिस पर बलात्कार का आरोप हो, जिस पर सरकारी सम्पत्ति पर कब्जे करने के आरोप हों, वह अपनी प्रतिष्ठा की बात करता है । काहे की प्रतिष्ठा, खाक प्रतिष्ठा ।

अभियुक्त पर एक किता जुड़वा सम्मन जिसमें एक पर सफेदा लगा हुआ है ( जिसकी छायाप्रति मुझे जवाब देने के लिए प्रदान की गयी है ) कूटरचित दस्तावेज तैयार करने के बावत नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी क्योंकि ऐसा कोई सम्मन कार्यालय लिपिक की आख्या अनुसार जारी ही नहीं हुआ है ।

आख्या सादर प्रेषित ।

भवदीय

  
( विमल प्रकाश आर्य )

दिनांक: 28. 01. 2022

अपर सत्र न्यायाधीश ( F. T. C. ), झाँसी ।  
( चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित ) ।

नोट: दिनांक 28. 01. 2022 को कार्यालय की डाकवही में चढ़वाकर भिजवाया गया ।

द्वारा - 174, 129, 177, 186 1D  
दिनांक - 29/12/21

4B

## अभियुक्त व्यक्ति का सम्मन

न्यायालय ADJ FTC (P) F.C. Jhansi  
नाम - पण्डितेश्वर शुक्ला (एवम्)  
श्री जी एम कंपाऊड (प्राईवेट)  
चूंकि आपकी उपस्थिति वास्ते अभियुक्त

..... देने हेतु

अनिवार्य है अतः आप स्वयं न्यायालय उपरोक्त के समक्ष

दिनांक 24/12/21 को सुबह 10

बजे उपस्थित हों ऐसा करने में त्रुटि न हो।

आज दिनांक 30/11/21 को दिनांकित

Checked  
D.K.



20/11/21  
न्यायालय की मुहर  
अपर जिला  
मन्त्र सहायक (एप-  
वैदिक वितीय आयोग के निदेशानुसार)

LC/O.P.M.S.  
गो. न्यायालय

CHO  
11/12/21

12/24

दिनांक

Copy Recd.

23/12/2021

रिपोर्ट थाना नवाबाद जनपद झांसी

महोदय

सिवरद है डि कर समन ही लाठीला  
तुस कापसी काय कामल मे कापसमा  
सम्मन मे अकित अकित ही टटकी  
करके ब्यात खास लापील करमा  
व हारा बनवाये गये।

रिपोर्ट सादर सेवा मे प्रेषित है।

डा. प्रद्युम्न सिंह

थाना - नवाबाद

23/12/21 झांसी



12/25